

रेरा ने तय समय पर फ्लैट न देने वाले बिल्डरों पर सख्ती बढ़ाई

पटना। रera ने घर के खरीदारों के हित में आदेशों की अवहेलना करने वाले प्रमोटरों के खिलाफ वसूली और



निष्पादन की प्रक्रिया तेज करने का निर्देश दिया है।

एक मामले में सुनवाई के दौरान प्रमोटर के लगातार

अनुपस्थित रहने पर वारंट जारी किया गया और पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर सर्टिफिकेट पदाधिकारी अनिमेष पांडेय की अदालत में पेश किया। कार्यवाही के दौरान एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रमोटर ने शिकायतकर्ता को 5.80 लाख का भुगतान किया और शेष 7.2 लाख का चेक सौंपा। एक अन्य प्रकरण में पवन कुमार अग्रवाल को 7 लाख और पीयूष श्रीवास्तव को 7 लाख का चेक मिला।